महत्वपूर्ण

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/3078 भोपाल, दिनांक27/01/2018

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
म0प्र0 (समस्त)

विषयः–दिनांक 01.04.2018 से ऑनलाईन अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध मे।

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बी–6/नियमन/उपविधि संशो./214/1933–37 दिनांक 13.12.2017 से अनुज्ञापत्र हेतु संशोधित घोषणा पत्र प्ररूप–दस प्रावधानित किया गया है। अनुज्ञापत्र जारी कराने से पूर्व इस घोषणा पत्र प्ररूप–दस की समस्त प्रविष्टियां आवेदक व्यापारी के द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से स्वंय अथवा मण्डी कार्यालय के आपरेटर से कराई जावेगी।

2/ घोषणा पत्र प्ररूप–दस की प्रविष्टि के साथ अधिसूचित कृषि उपज के जिस स्कंध के लिये अनुज्ञापत्र जारी कराया जाना है, उस स्कंध पर संदेय/जमा मण्डी फीस की रसीद, व्यापारी के पास उपलब्ध स्टॉक विवरण एवं कृषक को किये गये भुगतान के प्रमाण स्वरूप मण्डी अधिनियम की धारा 37(2) उपविधि 17(4), 17(5) के अध्यधीन जारी भुगतान पत्रक प्ररूप–चार (यथा संशोधित) स्कैन अपलोड किया जावेगा।

3/ मंडी फीस टैक्स पेड क्रय की गई कृषि उपज के स्कंध को स्थानांतरित करने के लिये अनुज्ञा पत्र प्राप्ति हेतु, घोषणा पत्र प्ररूप–10 के साथ संबंधित टैक्स पेड अनुज्ञापत्र की प्रति तथा उपलब्ध स्कंध का विवरण अपलोड किया जावेगा।

4/ उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र प्ररूप–दस के साथ अपलोड अभिलेखो का, मण्डी सचिव द्वारा प्राधिकृत लेखापाल द्वारा अपने टर्मिनल पर उपलब्ध अथवा मण्डी मे संधारित भौतिक अभिलेखो से परीक्षण किया जाकर, अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु वेरीफाईड कर अग्रेषित किया जायेगा।

5/ मण्डी सचिव या उसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा [illegible] घोषणा पत्र प्ररूप–दस की प्रविष्टि व लेखापाल के अग्रेषण के [illegible] प्रथम प्रति जारीकर्ता मंडी प्रति, द्वितीय प्रति विक्रेता व निर्गमनकर्ता व्यापारी प्रति, तृतीय प्रति वाहन व गन्तव्य व्यापारी प्रति एवं चौथी प्रति क्रेता व्यापारी को ऑनलाईन जारी प्रेषित होगी।

6/ वाहन व गतंव्य व्यापारी प्रति बारकोड या क्यूआर कोड युक्त होगी जिसके मूल मंडी निगर्मन करने स्थान पर उसे रीड करने पर यह प्रथमतः चेक होगी तदुपरांत क्षेत्रीय निरीक्षण दलो तथा आयातक मंडी प्रांगण के प्रवेश स्थल पर रीड होने पर जारी अनुज्ञा पत्र की कार्रवाही पूर्ण होगी तथा वो व्यापारी द्वारा जमा की जाने वाली आगामी पाक्षिक विवरणी के साथ मंडी कार्यालय मे जमा की जा सकेगी।

7/ इस प्रकार से जारी ऑनलाईन अनुज्ञापत्र के आधार पर बारकोड या क्यूआर कोड युक्त अनुज्ञापत्र के प्रिन्ट से वर्तमान प्रचलित व्यवस्था अनुसार मण्डी सचिव द्वारा मैनुअल /भौतिक अनुज्ञापत्र दिनांक 31.03.2018 तक ही जारी किया जा सकेगा जिसके उपरान्त दिनांक 01.04.2018 से केवल ऑनलाईन अनुज्ञापत्र ही शत–प्रतिशत जारी होगे।

8/ ऐसे विपणन स्थल उपमंडी, हाट बाजार आदि जो मूल मुख्य मंडी प्रांगण से परे है, जहां कि ऑन लाईन अनुज्ञापत्र जारी करने की सुविधा नही है, वहां भी संबंधित मंडी सचिव द्वारा ऑन लाईन अनुज्ञापत्र प्रणाली की सुविधा आंचलिक कार्यालय व एनआईसी के मार्गदर्शन मे विकसित की जावेगी, तब तक उक्त स्थानो पर वर्तमान प्रचलित व्यवस्था अनुसार होलोग्राम युक्त मेन्यूअल अनुज्ञापत्र व्यवस्था जारी रहेगी।

9/ आनलाईन अनुज्ञा प्रणाली प्रांरभ होने के पूर्व दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में, व्यापारी के स्टाक में यदि वाणिज्यक संव्यवहार के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र के माध्यम से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का स्कंध/मात्रा वर्तमान में भी भण्डारित शेष उपलब्ध है, तो ऐसे स्कंध/स्टाक का भौतिक सत्यापन एवं मण्डीफीस भुगतान के प्रमाण, अनुज्ञापत्र आदि की जानकारी प्रमाणीकरण कर, संबंधित आंचलिक अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर संबंधित मण्डी सचिव इसकी ई अनुज्ञा पोर्टल पर दिनांक 15.02.2018 तक प्रविष्टी पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। ऐसे प्रकरणों का पूर्ण अभिलेखों सहित संधारण पृथक से किया जायेगा ।

10/ आनलाईन अनुज्ञा प्रणाली प्रांरभ होने की दिनांक 01.04.2015 के बाद मण्डी समिति के अन्तर्गत मैनुअल/भौतिक रूप से जारी अनुज्ञापत्रों जिनकी प्रविष्टी किन्हीं कारणवश ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई है, ऐसे मैनुअल अनुज्ञापत्रो को अनिवार्य रूप से दिनांक 15.02.2018 तक, शत् प्रतिशत ई–अनुज्ञा पोर्टल पर संबंधित मण्डी सचिव दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त समयावधि पूर्ण होने के उपरांत,यदि संज्ञान में आता है कि भौतिक अनुज्ञापत्रो की प्रविष्टी ई पोर्टल पर नही होने से ई–अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो संबंधित मण्डी सचिव उसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।

11/आंचलिक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मंडी प्रांगण से जारी किये गये क्यूआर या बारकोर्ड युक्त ऑन लाईन व हाट बाजारो से जारी किये गये ऑफ लाईन होलोग्राम युक्त भौतिक अनुज्ञापत्रो का दिन प्रतिदिन मंडी अभिलेखो से व्यापारिक अभिलेखो से मिलान कर, प्रत्येक पक्ष पूर्ण होने के पूर्व मंडी शुल्क निर्धारण कर बकाया की दाण्डिक शुल्क व ब्याज सहित त्वरित वसूली पूर्ण की जावे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/3079 भोपाल, दिनांक 27/01/2018
प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
(2) अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। (समस्त)
(3) संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (NIC) म0प्र0, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) उपसंचालक (नियमन) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय।
(5) चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।
(6) गार्ड फाइल/नियमन/विधि/वित्त/प्रांगण/स्टोर शाखा।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल